बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
रिश्तों की जमापूंजी

बीओआई से त्यागपत्र दे चुके कर्मचारियों के लिए सूचना

त्यागपत्र दे चुके उन कर्मचारियों को पेंशन के लिए एक विकल्प प्रदान किया जाना जो कि अन्यथा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियमन, 1995 के तहत पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र थे

12वें द्विपक्षीय समझौते/9वें संयुक्त नोट दिनांक 08.03.2024 के निबंधनों के अनुसार और वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) से "अनापत्ति" के बाद जो कर्मचारी 1-1-1986 को या उसके बाद बैंकों में सेवारत थे तथा जिन्होंने 01-04-2010 से पहले बैंकों में सेवारंभ किया था और जिन्होंने 26-04-2010 को या उससे पहले बैंक की सेवा से त्यागपत्र दिया है और जो बैंक की सेवा में रहते हुए अन्यथा पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र थे, उन्हें इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से 90 दिनों (नब्बे दिन) के भीतर पेंशन योजना में शामिल होने का एक विकल्प और अवसर दिया गया है।

त्यागपत्र दे चुके कर्मचारी जो अन्यथा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियमन, 1995 के तहत पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र थे, को पेंशन का एक विकल्प प्रदान किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश शाखा परिपत्र सं. 118/047 दिनांक 17.05.2024 के माध्यम से बैंक द्वारा जारी किए गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया बैंक का शाखा परिपत्र सं. 118/047 दिनांक 17.05.2024 देखें या बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जाएँ या सेवान्त लाभ प्रभाग, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय से संपर्क करें।

पेंशन के विकल्प हेतु आवेदन पत्र शाखा/कार्यालय/बीओआई एल्यूमनाई पोर्टल/बैंक वेबसाइट - स्टार वरिष्ठ परिवार पर उपलब्ध है।

दिनांक: 17.05.2024

(महाप्रबंधक- मानव संसाधन)

सेवान्त लाभ प्रभाग, मा. स. विभाग, प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, 8वां तल, (पश्चिम) विंग, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पू)
Terminal Benefits Division, HR Department, Head Office: Star House, 8th Floor, (West) Wing , C-5, "G" Block, Bandra Kurla Complex, P.B. No.8135, Bandra(East), मुंबई Mumbai 400051.Ph:022-66684930/4779/4814
वेबसाइट/Website: www.bankofindia.co.in, **ईमेल/Email:** headoffice.tbd@bankofindia.co.in